

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवम्
आपदा प्रबंधन विभाग

—:अधिसूचना :—

क्र. /12450 /भूअर्जन/अ-82/2023,

कोरबा, दिनांक 26/9 /2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि की कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत मुख्य एवं शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - कोरबा
(ख) ग्राम - देवरी
(ग) तहसील - कटघोरा
(घ) क्षेत्रफल - 1.133 हे.

स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल
1	816/2	0.089	15	824/1	0.032	29	835/1ठ	0.036
2	816/1	0.041	16	821	0.069	30	835/1घ	0.032
3	835/1च	0.020	17	825	0.049	31	835/1ड	0.004
4	823/4	0.008	18	826	0.028	32	835/1ग/2	0.008
5	850/1, 852	0.230	19	827	0.041	33	835/1क	0.065
6	849	0.061	20	829/1	0.020	34	877/2	0.065
7	822/1	0.049	21	840	0.024	35	877/5	0.004
8	822/2	0.065	22	838/1	0.041	योग		1.133
9	823/5	0.024	23	835/1छ	0.028			

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा, जिला - कोरबा (छ. ग.)

(सौरभ कुमार)
कलेक्टर
जिला-कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग